

मध्य प्रदेश शासन  
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति  
सचिवालय

कार्यालय: टैगोर छात्रावास क्रमांक टी-2, श्यामला हिल, भोपाल-462002  
दूरभाष एवं फ़ैक्स : 0755-2660461, ई-मेल : afrcmp@gmail.com

क्रमांक/सचि./ओएसडी/2017/ 1484

दिनांक - 6/7/17

प्रति,

संचालक तकनीकी शिक्षा,  
संचालनालय, मध्यप्रदेश,  
सतपुड़ा, भवन,  
भोपाल।

विषय- सत्र 2017-18 हेतु डिप्लोमा फार्मैसी शिक्षण शुल्क विनियमन के संबंध में।

\*\*\*

दिनांक 30.06.2017 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा प्रदेश के निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं जिन्हें सत्र 2017-18 में नवीन अनुमोदन प्राप्त हुआ है, उस पाठ्यक्रम के लिये समिति द्वारा सत्र 2017-18 हेतु विनियमित किये गये औसत शुल्क के बराबर शिक्षण शुल्क को एक सत्र के लिये विनियमित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

वर्तमान में डिप्लोमा फार्मैसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली एक संस्था को अनुमति प्राप्त हुई है। उक्त संस्था के द्वारा शुल्क विनियमन प्रक्रिया में भाग लेकर शुल्क विनियमन किये जाने का प्रस्ताव समिति, साचिवालय को प्रस्तुत किया गया है। ऐसी संस्थाओं की आगामी एक सत्र- 2017-18 के लिये विनियमित किये गये शुल्क की जानकारी परिशिष्ट-1 संलग्न है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।



(डॉ. आलोक चौबे)


सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

दिनांक-

पृ.क्रमांक/सचि./ओएसडी/2017/

प्रतिलिपि-1. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति का नोडल विभाग) मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।



(डॉ. आलोक चौबे)

सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

## Annexure-I

## Fee Regulated by AFRC Session 2017-18, 2018-19 &amp; 2019-20

S.No.	User Name	Institute Name	City	Course Name	Fee Regulated (Per Semester) (Inclusive of Development fee & All other Miscellaneous fee) (Rs.) Session 2017-18	Remark
1	Tuser343957	Institute of Professional & Technical Education, Gwalior	Gwalior	DIPLOMA (DIPLOMA PHARMACY (2 YEAR))	18000	Regulate for One Year